न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2023/233
दायरा तिथि : 06.10.2023
आदेश तिथि: 21-02-2025
प्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)
तहसीलदार, बाली

बनाम

अप्रार्थी :–
श्रीमती सुरेन्द्रकंवर पत्नी नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी बलवना तहसील सुमेरपुर

–:: आदेश ::–

दिनांक : 21-02-2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने बहैसियत भूमिधारी राजस्व रेकर्ड एवं मौका स्थिति की जांच के पश्चात् ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) स्थित भूमि खसरा नंबर 144 रकबा 0.4100 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि कृषि भूमि होने तथा मौके पर खातेदारो द्वारा उक्त भूमि पर बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के होटल बनाकर अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन होने से अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश करने मे विफल रहने पर इनके जवाब का अवसर बंद किया गया।

प्रकरण में वकील अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब पेश नहीं करने तथा भूमिधारी तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यो के अतिरिक्त अन्य कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करना नहीं चाहने से प्रार्थी पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार द्वारा बहस में दलील दी गई कि वादग्रस्त भूमि ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) स्थित भूमि खसरा नंबर 144 रकबा 0.4100 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि कृषि भूमि है, परन्तु मौके पर खातेदारो द्वारा बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति होटल बनाने तथा मौके पर वाणिज्यिक प्रयोजन उपयोग में ली जा रही है, अप्रार्थी का उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 का उल्लंघन है। अतः वर्णित भूमि को राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने की दलील दी। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अध्ययन किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रावधानो का भी अवलोकन किया गया। **धारा 177. हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली–(1) आसामी भूमिधारी के प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित आधार पर अपने भूमि क्षैत्र से बेदखल किया जा सकेगा–**
(क) किसी ऐसे कार्य के करने अथवा न करने की त्रुटि के आधार पर जो उस भूमि क्षेत्र की भूमि के लिये हानिप्रद हो या उस प्रयोजन की असंगति में हो, जिसके लिये उक्त भूमि क्षेत्र पट्टे पर दिया हो, या
(ख) इस आधार पर कि उसने या उससे लेकर भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसी शर्तो का उल्लंघन किया है जिसके उल्लंघन करने पर वह किसी ऐसे अनुबन्ध विशेष के अनुसार बेदखल किया जा सके जो इस अधिनियम के प्रावधानो के खिलाफ नहीं हैः

इस प्रकार हस्तगत् प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि वादग्रस्त भूमि ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) स्थित भूमि खसरा नंबर 144 रकबा 0.4100 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की भूमि कृषि भूमि है। परन्तु पटवारी हल्का, दूदनी की मौका फर्द दिनांक 10.04.2023 के अनुसार वर्णित भूमि में मौके पर खातेदार द्वारा होटल बनाकर भूमि का मौके पर कृषि उपयोग न होकर अकृषि प्रयोजन वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ उपयोग हो रहा है। जबकि काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार कृषक को अपनी खातेदारी भूमि कृषि प्रयोजन उपयोग मे लेने के ही अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार उक्त भूमि के संबंध में खातेदारो द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो का उल्लंघन किया है। जिससे धारा 177 के अनुसार हानिप्रद कार्य या शर्त भंग के कारण बेदखली का अधिकारी बनता है। जिससे प्रार्थी भूमिधारी के आवेदन अनुसार वर्णित भूमि को राजकीय सिवाय चक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिया जाना उचित एवं न्याय संगत है।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

3

पेज लगातार.........02

Scanned with CamScanner

//02//

राजस्व विविध प्रकरण Gems No 2023/233

अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम सुरेन्द्रकंवर

अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार, बाली धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि ग्राम दूदनी(बाहरी क्षेत्र) स्थित भूमि खसरा नंबर 144 रकबा 0.4100 हैक्टर किस्म बारानी सोयम को राजकीय सिवायचक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार, बाली आदेश की पालना में भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज कर कब्जा सरकार लेते हुये पालना रिपोर्ट एक सप्ताह में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, दूदनी को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री दिनेश बिश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला

निर्णय आज दिनांक 21/02/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन,
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner